



आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
16-05-2023	<p style="text-align: center;"><u>वाद सं०-18 / 2023</u></p> <p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>आज की सुनवाई में शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं हो पाया है। इस बिच आयोग के अभिलेख में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन उपलब्ध है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता को बकाया अनाज उपलब्ध करा दिया गया है और शिकायतकर्ता श्रीमती ललिता देवी एवं अन्य ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को लिखित रूप से सूचित किया है कि उन्हें अब कोई शिकायत नहीं है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा के पत्र के आलोक में आयोग इस वाद को निष्पादित करता है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"><div style="text-align: center;"><p>(शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p></div><div style="text-align: center;"><p>(हिमाशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p></div></div>	